



आवेदक संस्था:- कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट का नाम:- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-45 "कैवची-केंदा-मंझवानी-रतनपुर" कि.मी. 237.860 से 322.035 कुल 84.175 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य।

वचन पत्र

Whether the Forest Land proposed for Diversion is located within Eco-Sensitive Zone (ESZ) of the Protected Area Notified under Wildlife (Protection) Act, 1972.

आवेदक संस्था कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-45 "कैवची-केंदा-मंझवानी-रतनपुर" कि.मी. 237.860 से 277.160 कुल 39.300 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त परियोजना में डायवर्सन के लिये प्रस्तावित वनभूमि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर स्थित नहीं है। किंतु परियोजना में प्रस्तावित ग्राम कैवची के राजस्व वनभूमि खसरा नं. 49/1 रकबा 0.271 हे. एवं खसरा नं. 44 रकबा 0.166 कुल रकबा 0.437 हेक्टेयर, लंबाई 182 मीटर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर स्थित है। इस पर वन विभाग द्वारा जो भी शर्तें लगाई जावेगी उनका पालन किये जाने हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

वनमण्डलाधिकारी

मरवाही वनमण्डल पेण्ड्रारोड

जिला गौरेला-पेण्ड्रम-मरवाही (छ.ग.)

MARWAHI DIVISION PENDRA ROAD

कार्यपालन अभियंता

राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग

संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

Executive Engineer

P.W.D., N.H. Division

Bilaspur (C.G.)